

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F (6) 11/ 2005-II, dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS**

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Sechu Tuan Nalla Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-3/99 dated 1.11.1999, to declare **Sechu Tuan Nalla** as **Wildlife Sanctuary** comprising an area of 103.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No.FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July 2010 to include an area of 113.27 sq. km to the existing notified 103.00 sq. km area of Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary, an additional area of 113.27 sq. km is included and 52.98 sq. km area is excluded (comprising 5 villages namely Chasak Batory, Chask, Sechu, Udeen Sandhari and Hillu Tuan) from the existing area on ground i.e. 330.00 sq. km of Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary. The total area of 390.29 sq. km (330.00 sq. km + 113.27 sq. km - 52.98 sq. km) shall now constitute the Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 390.29 sq. km as '**Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr.No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary.
1.	Sechu Tuan Nalla	i) Chamba ii) Chamba (WL) Division	NORTH: From point 5856 Mtrs. up to 6072 Mtrs. along the State boundary of Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh. EAST: The main ridge, commencing from point 6072 Mtrs. of Zanskar (Jammu & Kashmir) State boundary separating the watershed of Sechu Nalla and Miyar Nalla along Urgose Pass and up to Ghordhar Pass 5105 mtr. SOUTH: From Ghordhar Pass 5105 Mtr. to Duphao Jot at point 6070 Mtrs. along the ridge, then upto Baihali Jot at point 6302 Mtrs.

			<p>WEST: From near Baihali Jot 6302 Mtrs. to Malanu point 5233 Mtrs. up to Sidhani Nalla along the ridge and then along Sidhani Nalla up to point 2727 Mtrs., then along Chasak Nalla up to Bhaton to Kulma Jot to via 3923 Mtr. height, 3434 mtr. height then boundary of Khud PF on ridge, 4666 Mtr. height, Dibri on ridge, 4639 height, 3730 Mtr. height, Mini Jot, Hud nal, 5488 Mtr. height, 5681 Mtr. height, 6142 Mtr. height, 5271 Mtr. height upto 5856 Mtr. height.</p>
--	--	--	---

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.33° 10' 55" N & Long.76° 43' 24" E **East** Lat.32° 57' 31" N & Long.76° 46' 38"E, **South** Lat.32° 49' 49"N & Long.76° 35' 00" E **West** Lat.32° 54' 18" N & Long.76° 31' 22" E which falls on Survey of India topo sheet No. 52C/12, 52C/16,52D/9 & 52D/13 on scale 1: 50000.

Area of Sechu Tuan Nalla Wildlife Sanctuary= 390.29 sq. km


By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II सेचू तुआन नाला तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-3/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा 103.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र सेचू तुआन नाला को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न० 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न० 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन इस आशय की अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान अधिसूचित 103.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 113.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप भू-क्षेत्र पर अर्थात् सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 330.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 113.27 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और उसमें से 52.98 वर्ग किलोमीटर (5 गांवों नामतः चासक बटोरी, चासक, सेचू, उड़ीन सन्धारी और हिलू तुआन को समाविष्ट करके) अभ्यारण्य में से निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् अब कुल 390.29 वर्ग किलोमीटर (330.00 वर्ग किलोमीटर + 113.27 वर्ग किलोमीटर - 52.98 वर्ग किलोमीटर) के क्षेत्र, सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम, की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 390.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं ।

सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	सेचू तुआन नाला वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	सेचू तुआन नाला	i) चम्बा ii) चम्बा (वन्य जीव) मण्डल,	उत्तर:- बिन्दु 5856 मीटर ऊंचाई से 6072 मीटर ऊंचाई तक जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा के साथ-साथ । पूर्व:- मुख्य चोटी जसंकर की रिज बिन्दु 6072 मीटर ऊंचाई जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा से सेचू नाला तथा मियाड नाला के जलागम क्षेत्र की विभाजन रेखा के साथ उरधोष दर्रा से घोरधार दर्रा 5105 मीटर तक ।

			<p>दक्षिण:—घोरधार दर्रा 5105 मी० ऊंचाई से दुफाहो जोत 6070 मी० ऊंचाई से वैहाली जोत 6302 मी० उंचाई तक चोटी के साथ-2 ।</p> <p>पश्चिम:—वैहाली जोत 6302 मी० ऊंचाई के नजदीक से 5685 मी० ऊंचाई, 6027 मी० ऊंचाई और मैलाणू 5233 मी० ऊंचाई से सिधाणी नाला तक चोटी के साथ-2 । उसके बाद सिधाणी नाला के साथ 2727 मी० ऊंचाई, चसक नाला के साथ-2 भटोर से कुलमा जोत 5459 मी० ऊंचाई तक उसके बाद कुलमा जोत से 3923 मी० ऊंचाई से 3434 मीटर ऊंचाई से खुड संरक्षित वन की सीमा तक चोटी के साथ-2, खुड संरक्षित वन से 4666 मीटर ऊंचाई से डिबरी तक चोटी के साथ-2, डिबरी से 4639 मीटर ऊंचाई से 3730 मीटर ऊंचाई से मनी गोट से हुडनाल नाला तक, हुड नाला से 5488 मी० ऊंचाई से 5681 मी० ऊंचाई से 6142 मी० ऊंचाई से 5271 मी० उंचाई से 5856 मी० ऊंचाई तक चोटी के साथ-2 ।</p>
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 30° 10' 55" उत्तर और देशान्तर 76° 43' 24" पूर्व। पूर्व अक्षांश 32° 57' 31" उत्तर और देशान्तर 76° 46' 38" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 32° 49' 49" उत्तर और देशान्तर 76° 35' 00" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 32° 54' 18" उत्तर और देशान्तर 76° 31' 22" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 52सी/12, 52सी/16, 52डी/9 और 52डी/13, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल: 390.29 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।